शिक्षा के स्तर को सुधारना

806. **श्री रामजीलाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है और सुधार के स्थान पर इसका स्तर लगातार घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु और गरीबों को शिक्षा देने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी०ई०), 1986 जो 7 मई, 1992 को सभा पटल पर रखा गई, में भारत में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक कार्य ढांचा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अध्ययन के न्यूनतम स्तर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे नवाचारी उपायों की एक व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता, विषय वस्तु और प्रक्रिया में सुधार करने के लिए शुरू की गई है। अध्ययन के न्यूनतम स्तर जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य उन सक्षमताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना है जिनको भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययनों में प्राप्त करना बच्चों द्वारा अपेक्षित है। यद्यपि सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से निशुल्क है, उच्च और तकनीकी शिक्षा में पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विधियों के आवंटन को अभी अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

Bringing of KVs Under Plan-Budget

807. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:—

(a) whether Government have decided to bring Kendriya Vidyalayas under Plan-Budget as is the case with the Navodaya Vidyalayas; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) The Ministry has decided to provide funds under Plan Budget to Kendriya Vidyalaya Sangathan from 1995-96 onwards. The approved budget for 1995-96 and 1996-97 under Plan is Rs. 13.50 Crores and Rs. 5.50 Crores respectively.

Girl Child Protection Scheme in Andhra Pradesh

808. DR. MOHAN BABU:
SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to adopt the policy of Girl Child Protection Scheme in Andhra Pradesh to eliminate prejudice against girl child and to promote education of girls;

(b) if so, the steps proposed to propagate the scheme in all the States; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S. R. BOMMAI): (a) and (b) the Government has requested the State Governments and Union Territory Administrations to consider formulating a specific scheme to raise the status of the girl child based on the experience of such schemes in operation in Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh etc.

(c) Does not arise.